न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 21/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00014

उनवान

1. लक्ष्मन सिंह पुत्र स्व0 करन सिंह
2. डालचन्द } पुत्रान श्यामलाल
3. वन्टी

} जाति जाट नि0 नाम तह0 नदबई जिला भरतपुर।

..........................अपीलांट।

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
2. ग्राम पंचायत नाम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अंतर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहा0कलक्टर, नदबई दिनांक 24.01.2017 उनवानी श्यामलाल बनाम सरकार मु0न0 197/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 12.04.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 227 रकवा 0.04 है0 गैर मुमकिन चाह जिसका साविक खसरा नम्बर 1143 है व भू प्रबन्ध विभाग संवत 2028 का साविक खसरा नम्बर 905 से बना है जो वाके ग्राम नाम तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी/अपीलाण्ट की सामलाती मिल्कीयती की है जो जमाबन्दी संवत 2012 की खेवट संख्या 16 में उक्त गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 905 सायलान के पिता करन सिंह व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 25 के पूर्वज खाना संख्या 04 में मालिक विश्वेदार के रूप में

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

अंकित है। परन्तु विवादित आराजीयात पटवार कागजात में सिवायचक खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी गयी है। रैस्पो0 संख्या 02 जो कि ग्राम पंचायत नाम का निर्वाचित सरपंच है जो कि प्रार्थी/अपीलाण्ट से चुनावी रंजिश रखते हुये पटवारी हल्का से साजिश कर अपने पद का दुरूपयोग करके प्रार्थी/अपीलाण्ट के कब्जे में दखलंदाजी करने के लिये प्रयत्नशील है। यदि वह अपनी उक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद संभव नहीं हो पायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी/रैस्पो0 को जरिये हुक्म इम्तनाई पाबन्द फरमाये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। विवादित हाल बंदोबस्ती खसरा नम्बर 227/0.03 है0 है जो साविक बंदोबस्त संवत 2028 के खसरा नम्बर 1143/0.03, 1144/0.10 किता 02 साविक खसरा नम्बर 905/0.15 विस्वा से संवत 2028 के वंदोबस्त के दौरान बनाये गये थे। संवत 2028 से पूर्व के खसरा नम्बर 905 रकवा 0.15 विस्वा अपीलाण्ट के पिता करन सिंह की खातेदारी में थे व वह मालिक हिस्सेदार थे। परन्तु संवत 2028 के बंदोबस्त में बंदोबस्त की भूल से खसरा नम्बर 905 के दो खसरा नम्बर 1143, 1144 बनाकर खसरा नम्बर 1144 अपीलाण्ट के पिता करन सिंह के नाम एवं खसरा नं0 1143 को सिवायचक दर्ज कर दिया। ऐसा करने का भू प्रबन्ध विभाग को अधिकार नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग की उक्त कार्यवाही उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर एवं वॉइड है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है एवं सभी दस्तावेजात को नजरंदाज कर अवैधानिक आदेश पारित किया है जो कि काबिल खारिजी है। संवत 2012 की जमाबन्दी में अपीलाण्ट के पिता करन सिंह पुत्र कुन्दन हिस्सेदार दर्ज हैं तथा वह मालिक हिस्सेदार था संवत 2028 की जमावन्दी में खसरा नम्बर 1144/0.10 अपीलाण्ट के पिता करन सिंह के नाम दर्ज किया है तथा साविक खसरा नम्बर 905 के दूसरे नम्बर 1143/0.03 को अवैधानिक तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर शुरू से ही कब्जा काश्त है व वहैसीयत खुदकाश्त खातेदार है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर 2009 आर0बी0जे0 पेज 579 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधी अनुरूप सही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एंव ना ही उनका कब्जा काश्त है। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। संवत 2012 में भी साविक आराजी खसरा नम्बर 905 में अपीलाण्ट व इनके पूर्वजो का नाम दर्ज नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त एवं

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 01 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 227 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम नाम सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित आराजी संवत 2012 में उनके पूर्वज करन सिंह के नाम दर्ज रही है। परन्तु जमाबन्दी संवत 2012 तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में भी विवादित आराजी पर उनके पूर्वज के नाम अंकित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी संवत 2028 से निरन्तर सिवायचक दर्ज होती चली आ रही है एवं वर्तमान में भी सिवायचक दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी/अपीलाण्ट के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलाण्ट अपने कथनो को सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी के सिवायचक दर्ज होने के कारण प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदवई के निर्णय दिनांक 24.01.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.04.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर